(33) (53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1843–दो/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 27–03–2012 पारित द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी जिला–दमोह द्वारा प्रकरण कमांक 1–अ/12/2011–12

.....

1– अशोक अहिरवार,

2– अतुल अहिरवार,

पुत्रगण कुंजीलाल अहिरवार

3– अर्जुन अहिरवार वल्द नन्ने अहिरवार

सभी साकिन–फुटेरा वार्ड नं0 2 दमोह

तह0 व जिला दमोह (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

शशि बाई पत्नी स्व0 दयाशंकर अहिरवार

साकिन–फुटेरा वार्ड नं0 2 दमोह

तह0 व जिला दमोह (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नजूल अधिकारी जिला– दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती शशि बाई अहिरवार बेवा स्व0 श्री दयाशंकर अहिरवार नजूल शीट नं0 26 प्लॉट नं0 546/2 रकबा 443 वर्गफुट मकान का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र किया तथा आवेदन पत्र के साथ खसरा की छायाप्रति एवं चलान सीमांकन शुल्क रुपये 50/– जमा करने का संलग्न किया था । सीमांकन पूर्व आवेदकगण को कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया था इसीकारण सीमांकन की जानकारी नहीं हो सकी । आवेदकगण को सीमांकन की जानकारी प्रथमबार दिनांक 28.02.2013 को उस समय हुई, जब अनावेदिका द्वारा न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 दमोह के समक्ष लंबित प्रकरण में सीमांकन प्रस्तुत किया । इसके उपरांत आवेदकगण ने दिनांक 04.03.2013 को उक्त सीमांकन की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.03.2013 को प्राप्त हुई । तब जाकर सीमांकन पारित आदेश दिनांक 27.03.2013 की वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई । उक्त पारित आदेश दिनांक 27.03.2013 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि दमोह नगर की शीट क्रमांक 26 प्लाट नं0 546 रकबा 0.03 डिसमिल वर्ष 1954–55 से लगातार आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से नजूल संधारण खसरा में दर्ज चले आ रहे है और उक्त प्लाट पर आवेदकगण का रहवासी मकान है जिसमें वह निवासरत है । अतः सीमांकन पूर्व सूचना भेजी जानी थी । सीमांकन प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र से स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति प्रहलाद, कुन्जीलाल का नाम उल्लेख किया गया है और उक्त सूचना पत्र पर मात्र अनावेदिका के हस्ताक्षर है अन्य उल्लेखित किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर सूचना पत्र प्राप्ति के नहीं है । उक्त सीमांकन दिखावटी सीमांकन है । अनावेदिका ने कुंअरमन पिता खुमान अहिरवार से मिलकर किसी संदिग्ध बैनामा के आधार पर आवेदकगण की जानकारी के बिना कार्यवाही कर दिनांक 04.06.2011 को नामांतरण आदेश पारित कराया था और अभिलेख में प्लाट नं0 546 के बटांक रूप में प्लाट नं0 546/2 कायम करा लिया था उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.11 की जानकारी होने पर आवेदकण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष एक अपील प्रकरण क्रमांक 4–अ/6/2011–12 प्रस्तुत की थी। आवेदकगण की उक्त अपील स्वीकार कर दिनांक 22.05.2012 को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया था, एवं मूल न0 546 पुनः यथावत हो चुका है । इस कारण भी सीमांकन आदेश निरस्तीयोग्य हे । तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदिका ने उक्त अपील से दुखी होकर वर्तमान में आवेदकगण के विरूद्ध सिविल वाद प्रस्तुत किया है

जिसमें उभयपक्ष के मध्य स्वत्व का विवाद अर्न्तग्रस्त है । सीमांकन प्रकरण के अभिलेख से भी स्पष्ट है कि सीमांकन प्रकरण की कार्यवाही अवैधानिक रूप से की गई है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा नजूल अधिकारी दमोह द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से आवेदक की यह आपत्ति सही प्रतीत होती है कि सीमांकन की सूचना सभी पक्षों को विधिवत नहीं दी गई है । आवेदक ने प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्र0 04/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2012 भी प्रस्तुत किया जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक के स्थान पर आवेदक का स्वत्व माना जाकर नामांतरण के आदेश दिए गए है । उक्त परिवर्तित परिस्थितियों में पूर्व में किए गए सीमांकन की कार्यवाही अब वैध नहीं रहने से निरस्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर